प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 884/ 2023

राजेश मिश्रा, पिता- ब्रह्मेश्वर मिश्रा, आयु- लगभग 43 वर्ष, निवासी- गोल्डन होम्स, कचना मोवा, थाना- पण्डरी, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़, स्थायी पता- सड़क सं. 6, मकान सं. 30, सिंधगोडा, पुलिस स्टेशन सिंधगोडा, जिला- जमशेदपुर, झारखंड।

..... आवेदक

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना प्रभारी, थाना- न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादी

(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

आवेदक की ओर से : श्री विरेन्द्र वर्मा, अधिवक्ता

राज्य- उत्तरवादी की ओर से : सुश्री बीनू शर्मा, अधिष्ठित अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा

पीठ पर आदेश

16/01/2025

1. आवेदक द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 और 401 के अंतर्गत यह दाण्डिक पुनरीक्षण हेतु आवेदन विद्वान सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (छत्तीसगढ़ निक्षेपको के हित का संरक्षण अधिनियम, 2005) द्वारा दाण्डिक प्रकरण सं. 02/2019 में पारित

30.05.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक **A**/1) से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत विचारण न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया है।

2. इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता दाण्डिक प्रकरण सं. 02/2019 में अभियुक्त है, जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है और भारतीय दण्ड संहिता विधान की धारा 420 और विशेष अधिनियम अर्थात् छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए विचारण का सामना कर रहा है। आवेदक जमानत पर है, परन्तु भारत गणराज्य द्वारा जारी उसका पासपोर्ट सं. **K** 5488506 पुलिस द्वारा परिबद्ध कर लिया गया है। अतः आवेदक ने पासपोर्ट की अंतरिम अभिरक्षा की मांग करते हुए दं.प्र.सं. की धारा 451 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु उस आवेदन को आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है जो पहले से ही अनुलग्नक **A**/1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए, यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि आक्षेपित आदेश तथ्यों और विधि के विपरीत है, जो विधि की नजर में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उन्होंने आगे तर्क किया कि किसी भी व्यक्ति के पासपोर्ट को परिबद्ध करने की शक्ति और अधिकारिता का उपयोग पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (3) (ड.) का उल्लेख किया जो निम्नानुसार हैः

> "(3) पासपोर्ट प्राधिकारी, पासपोर्ट या यात्रा- दस्तावेज को परिबद्ध कर सकेगा या परिबद्ध करा सकेगा या प्रतिसंहृत कर सकेगा है,-
>
> (ड.) यदि किसी एसे अपराध के बाबत, जिसका पासपोर्ट या यात्रा- दस्तावेज धारक द्वारा किया जाना अभिकथित हो, कार्यवाहियां भारत में किसी दण्ड न्यायालय के

समक्ष लंबित हों;

उन्होंने आगे तर्क कि किया कि विचारण न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि आवेदक ने जमानत पर है और उसने इसका दुरुपयोग नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक का एक व्यवसाय है जिसके लिए उसे विदेश जाना पड़ता है जिसके लिए उसे पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। अतः यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में 30.05.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक **A**/1) को अपास्त करते हुए पुलिस अभिरक्षा से पासपोर्ट को मुक्त कराने की कृपा करे।

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हैं।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, आक्षेपित आदेश और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री का अत्यंत सावधानी के साथ परिशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन और अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विचारोपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के तहत आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार, 'श्योर मार्ट और श्योर वेल्थ' के निदेशकों- राजेश मिश्रा और दीनदयाल सोनी तथा एसोसिएट- प्रफुल्ल चौधरी ने आवेदक सुरेंद्र प्रीतवानी और 6776 अन्य ग्राहकों को धोखा देकर और उन्हें फ्रेंचाइसी देने तथा श्योर मार्ट में निवेश करने पर 0 से 02 प्रतिशत लाभांश प्राप्त करने का लालच देकर लगभग रु. 90 करोड़ की धोखाधड़ी की है। मामले की विवेचना की गई। निवेशकों की शिकायत पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके साथ ही लगभग रु.90 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। अभिलेख पर यह तथ्य हैं कि अभियुक्त- राजेश मिश्रा ने अपने बैंक खाते में कुछ राशि, फर्म के खाते में कुछ राशि, अपने परिवार के खाते में कुछ राशि निवेश की और विदेश यात्रा पर कुछ धन खर्च किया। इस तरह से यह दर्शाया गया है कि अभियुक्त राजेश मिश्रा ने करोड़ों

रुपये की वित्तीय अनियमितता का अपराध किया है। अभियुक्त विदेश में व्यापार करने के लिए समर्पण पर अपना पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, और यदि यह दिया जाता है, तो अभियुक्त के फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और आवेदक/अभियुक्त राजेश मिश्रा को समर्पण पर पासपोर्ट प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अभिलेखों के परिशीलन से यह पता चलता है कि आवेदक के विरूद्ध भा.द.वि., 1860 की धारा 420/34, 409, 120-ख और निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 10 और इनामी चिट्स और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 की धारा 3/4 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और आवेदक का पासपोर्ट परिबद्ध कर लिया गया है। आवेदक ने पासपोर्ट की अंतरिम अभिरक्षा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है, परन्तु उसे विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश अनुलग्नक **A**/1 द्वारा खारिज कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 (3) निम्नानुसार उपबंधित करती हैः

> **"**(3) पासपोर्ट प्राधिकारी, पासपोर्ट या यात्रा- दस्तावेज को परिबद्ध कर सकेगा या परिबद्ध करा सकेगा या प्रतिसंहृत कर सकेगा है,-
>
> (क) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि पासपोर्ट या यात्रा - दस्तावेज का धारक उसे सदोष कब्जे में रखे हुए है;
>
> (ख) यदि पासपोर्ट या यात्रा- दस्तावेज तात्विक जानकारी को दबाकर अथवा पासपोर्ट या यात्रा- दस्तावेज के धारक अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर अभिप्राप्त

किया गया थाः

[परन्तु यदि ऐसे पासपोर्ट का धारक कोई अन्य पासपोर्ट अभिप्राप्त कर लेता है, तो पासपोर्ट प्राधिकारी ऐसे अन्य पासपोर्ट को भी परिबद्ध करेगा या परिबद्ध कराएगा या प्रतिसंहृत कर करेगा।]

(ग) यदि पासपोर्ट अधिकारी ऐसा करना भारत की प्रभुता और अखण्डता, भारत की सुरक्षा या किसी विदेश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में या जनसाधारण के हित में आवश्यक समझे;

(घ) यदि पासपोर्ट या यात्रा- दस्तावेज जारी करने के पश्चात् किसी भी समय पासपोर्ट या यात्रा- दस्तावेज का भारत में के किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्विलित करने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो और उसकी बाबत दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दण्डित किया गया हो;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ड.) यदि किसी एसे अपराध के बाबत, जिसका पासपोर्ट या यात्रा- दस्तावेज धारक द्वारा किया जाना अभिकथित हो, कार्यवाहियां भारत में किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष लंबित हों;

(च) यदि पासपोर्ट या यात्रा- दस्तावेज की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया हो;

(छ) यदि पासपोर्ट या यात्रा- दस्तावेज का धारक उप-धारा (1) के अधीन की उस सूचना का अनुपालन करने में विफल रहा है, जिसमें उससे वह पासपोर्ट या यात्रा- दस्तावेज समर्पित करने की अपेक्षा की गई हो;

(ज) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया हो

कि पासपोर्ट या यात्रा- दस्तावेज के धारक की हाजिरी के लिए कोई वारंट या समन, या उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया है या यदि पासपोर्ट या अन्य यात्रा- दस्तावेज के धारक के भारत से प्रस्थान प्रतिषिद्ध करने का कोई आदेश ऐसे किसी न्यायालय द्वारा दिया गया हो और पासपोर्ट प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि वारंट या समन इस प्रकार जारी किया गया है या कोई आदेश इस प्रकार किया गया है।"

9. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क किया कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) के अनुसार, न्यायालय भी पासपोर्ट को परिबद्ध नहीं कर सकती है। पासपोर्ट अधिनियम एक विशेष विधि है जबकि द.प्र.सं एक सामान्य विधि है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. **ए. आई. आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 1414** में प्रतिवेदित **नंदा बनाम सी. बी. आई.** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार, न्यायालय भी पासपोर्ट को परिबद्ध नहीं कर सकती है, यह पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 (3) के अनुसार केवल पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

11. इसलिए, जबकि पुलिस के पास द.प्र.सं. की धारा 102 के तहत पासपोर्ट परिबद्ध करने की शक्ति हो सकती है, यदि यह द.प्र.सं. की धारा 102 के तहत दिए गए प्राधिकार के भीतर अनुज्ञेय है, तो उसे बनाए रखने या परिबद्ध करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि यह केवल पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, यदि पुलिस एक पासपोर्ट परिबद्ध करती है (जैसा उसे द.प्र.सं. धारा 102 के तहत करने का अधिकार है), तो उसके बाद पुलिस को इसे पासपोर्ट प्राधिकारी को एक पत्र के साथ भेजना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि परिबद्ध किया गया पासपोर्ट, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) में उल्लिखित कारणों में से एक के लिए परिबद्ध किए जाने योग्य है। इसके बाद, यह पासपोर्ट प्राधिकारी को तय करना है कि

पासपोर्ट को परिबद्ध करना है या नहीं। चूंकि पासपोर्ट को परिबद्ध करने के नागरिक परिणाम होते हैं, इसलिए पासपोर्ट प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति को उसका पासपोर्ट परिबद्ध करने से पहले सुनवाई का अवसर देना चाहिए। यह सुस्थापित है कि कोई भी आदेश जिसके नागरिक परिणाम हैं, किसी पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद पारित ही किया जाना चाहिए।

12. वर्तमान प्रकरण में, न तो पासपोर्ट प्राधिकारी ने परिबद्ध करने का कोई आदेश पारित किया और न ही पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज़ को परिबद्ध करने के लिए आवेदक को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। केवल पुलिस प्राधिकारी ने पासपोर्ट को अपने कब्जे में रखा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस न्यायालय के मत में, यह स्पष्ट रूप से अवैध था। अधिनियम की धारा 10-क के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिधारण केवल चार सप्ताह के लिए हो सकता है। इसके बाद इसे केवल धारा 10 (3) के तहत पासपोर्ट प्राधिकारी के आदेश द्वारा ही रखा जा सकता है।

14. मेरे मत में, न्यायालय भी पासपोर्ट को परिबद्ध नहीं कर सकती है। यद्यपि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि द.प्र.सं. की धारा 104 में कहा गया है कि न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो उसके सामने प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज या चीज़ को परिबद्ध कर सकता है, यह प्रावधान न्यायालय को केवल पासपोर्ट के अलावा किसी भी दस्तावेज़ या चीज़ को परिबद्ध करने में सक्षम बनाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) में पासपोर्ट परिबद्ध करने का प्रावधान है। पासपोर्ट अधिनियम एक विशेष विधि है जबकि द.प्र.सं. एक सामान्य विधि है। यह सुस्थापित है कि जी. पी. सिंह के सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत (9 वां संस्करण पृष्ठ क्र. 133) के अनुसार, विशेष विधि सामान्य विधि पर हावी होतीहै। इस सिद्धांत को मैक्सिम 'जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन डेरोगेन्ट' में व्यक्त किया गया है। इसलिए, न्यायालय द्वारा द.प्र.सं. की धारा 104 के

तहत पासपोर्ट को परिबद्ध नहीं किया जा सकता है, यद्यपि यह किसी अन्य दस्तावेज या चीज़ को परिबद्ध कर सकता है।

15. उपरोक्त कारणों से, मैं विचारण न्यायालय द्वारा पारित 30.05.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक **A**/1) को अपास्त करता हूँ और उत्तरवादी को आवेदक को पासपोर्ट सौंपने का निर्देश देता हूं। यद्यपि, उत्तरवादी विधि के अनुसार आवेदक का पासपोर्ट परिबद्ध करने के लिए अधिनियम की धारा 10-क के तहत पासपोर्ट प्राधिकारियों से संपर्क कर सकेगा।

16. यद्यपि, मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि मैं प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त नहीं कर रहा हूं और यह तय नहीं कर रहा हूं कि जमानत प्रदान किए जाने की शर्त के रूप में पासपोर्ट को परिबद्ध किया जा सकता है या नहीं।

17. आपराधिक पुनरीक्षण तदानुसार निराकृत किया जाता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**